WESTERN RAILWAY

P.S.No. 20/2014

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 1025/0 Vol.IX

Date: 19.03.2014

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Selection procedure for promotion to Selection Posts – Formation of panel in the order of seniority amongst those Securing qualifying marks

==========

A copy of Railway Board's letter E(NG)I-2011/PM1/26 dated 06.02.2014 (RBE No.17/2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(U.V.Patel)
Dy CPO(HRD)
For General Manager (E)

Board's letter No. E[NG]I-2011/PM1/26 dated 06.02.2014 (RBE No. 17/2014)

Sub: Selection procedure for promotion to Selection posts – Formation of panel in the order of seniority amongst those securing qualifying marks.

Ref: PNM/NFIR Item No. 2/2012.

...

The General Secretary/NFIR has pointed out that on some of the Zonal Railways and Production Units selection in the normal channel of promotion is being done without taking seniority marks into consideration leading to discontentment among seniors.

2. The above issue has been examined and with the consent of both the Federations, the following clarifications are issued for guidance and compliance:

S.No	Subject	Clarification
A	Selection to posts as per avenue of promotion by restricting the field of eligibility to 1:3 times	Normal Selection with seniority marks and 60% pass marks in the aggregate including marks of written examination, record of service and seniority. Panel being made as per seniority with 80% and above classified as outstanding in the order of their seniority allowing them to supersede not more than 50% of the total field of eligibility.
B	Selection to posts as per avenue of promotion not restricting the field, but by calling for volunteers, like LDCE.	Normal Selection without seniority marks. Panel to be formed as per merit.
C	General Selection Posts: Selection to posts in which the volunteers are called across Cadres /Departments without restriction of field and all eligible candidates called for selection	Selection without seniority marks. Panel to be arranged as per merit
D	For promotion from erstwhile Group 'D' to Group 'C'	All erstwhile Group 'D' categories in GP Rs.1800, since upgraded as Group 'C', will continue to be eligible for selection to Group 'C' posts as per the AVC already provided , if they possess the prescribed educational qualification and residency period etc. For 33-1/3% quota- all staff having completed 3 years and above regular service are allowed to appear. Selection shall be governed by para [A] above. For 16-2/3% quota selection, rules against para [B] above will be applicable for staff with a minimum of 2 years regular service. This is as per para 189 of IREM and ACS 154 & 155.

Sd/-
(Kajal Mukherjee) JDE[N]III, Rly. Board

आरबीई सं. 17/2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2011/पीएम1/26 नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2014

महाप्रबंधक (पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: चयन पदों पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया - उन कर्मचारियों जिन्होंने अर्हता अंक प्राप्त किया हो, के बीच वरिष्ठता क्रम में पैनल तैयार करना।

संदर्भ: पीएनएम/एनएफआईआर मद सं. 2/2012

महासचिव/एनएफआईआर ने यह उल्लेख किया है कि कुछ क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों में पदोन्नति के सामान्य चैनल में चयन, वरिष्ठता अंकों को ध्यान में रखे बिना किया जा रहा है जिससे वरिष्ठ कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है।

2. उपर्युक्त मुद्दे की जांच की गई है और दोनों फैडरेशनों की सहमति से मार्ग-दर्शन और अनुपालन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:

क्र. सं.	विषय	स्पष्टीकरण
क	पात्रता के क्षेत्र को 1:3 गुणा तक प्रतिबंधित करके पदोन्नति के अवसर के अनुसार पदों का चयन करना।	वरिष्ठता अंकों के साथ सामान्य चयन और लिखित परीक्षा, सेवा रिकॉर्ड और वरिष्ठता अंकों सहित कुल मिलाकर 60% पास अंक। 80% और इससे अधिक प्रतिशत वाले वरिष्ठता के अनुसार तैयार किए जाने वाले पैनल को उनकी वरिष्ठता के क्रम में उत्कृष्ठ के रूप में वर्गीकृत किया गया जिसमें उन्हें कुल पात्रता के क्षेत्र को 50% से अधिक सुपरसीड करने की अनुमति नहीं होगी।
ख	क्षेत्र को प्रतिबंधित न करते हुए, परन्तु स्वयंसेवकों, जैसे एलडीसीई को बुलाकर पदोन्नति के अवसर के अनुसार पदों का चयन करना।	वरिष्ठता अंकों के बिना सामान्य चयन। मैरिट के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा।
ग	सामान्य चयन पद : उन पदों के लिए चयन करना जिनके लिए कार्यक्षेत्र का प्रतिबंध लगाए बिना चयन के लिए सभी संवर्गों/विभागों से स्वयंसेवकों को और सभी पात्र उम्मीदवारों को बुलाया जाता है।	वरिष्ठता अंकों के बिना चयन। मैरिट के अनुसार पैनल तैयार किया जाएगा।

घ	पूर्ववर्ती ग्रुप "डी" से ग्रुप "सी" में पदोन्नति के लिए।	ग्रेड पे ₹ 1800/- में पूर्ववर्ती सभी ग्रुप "डी" कोटियां, जिन्हें ग्रुप "सी" में अपग्रेड कर दिया गया है, पहले से दी गई एवीसी के अनुसार ग्रुप "सी" पदों पर चयन के लिए पात्र रहेंगी यदि उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और रेजिडेन्सी अवधि आदि हो। $33\frac{1}{3}\%$ कोटा के लिए - उन सभी कर्मचारियों, जिन्होंने 3 वर्ष और इससे अधिक नियमित सेवा पूरी की हो, को चयन में शामिल होने की अनुमति दी जाती है। चयन उपर्युक्त पैरा (क) द्वारा शासित होगा। $16\frac{2}{3}\%$ कोटा चयन के लिए उन कर्मचारियों, जिन्होंने कम-से-कम 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है, के लिए उपर्युक्त पैरा (ख) में दिए गए नियम लागू होंगे। यह आईआरईएम के पैरा 189 और एसीएस 154 एवं 155 के अनुसार है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

काजल

(काजल मुखर्जी)
संयुक्त निदेशक स्थापना (एन)III
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I-2011/पीएम1/26 नई दिल्ली, दिनांक 06.02.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, अखिल भारतीय रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35प्रतियां)
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां).
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर एसोसिएशन, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां).
5. महासचिव, भारतीय रेल प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां).
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एंप्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ.
13. सलाहकार (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली.

14. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ.
15. प्रबंधक/मानव संसाधन, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, निकट सफदरजंग रेलवे स्टेशन, मोतीबाग-1,नई दिल्ली-110021.
16. डीएफसीसीआईएल, 5वां तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन परिसर, नई दिल्ली-110001.
17. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, भारतीय रेल (कारखाना परियोजनाएं), चैम्बर भवन, जजेज़ कोर्ट रोड, अण्टा घाट, पटना-800 001 (बिहार).
18. मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, इंडियन रेलवेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर ऑल्टरनेट फ्यूल्स, 12वां तल, कोर-1, स्कोप मीनार, डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-92.
19. महासचिव, अखिल भारतीय एससी एवं एसटी रेलवे इम्पलॉइज़ एसोसिएशन, कमरा नं.7(भूतल), रेल भवन, नई दिल्ली.
20. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली परियोजना, किशनगंज, दिल्ली-7.
21. सलाहकार (परियोजनाएं), कमरा नं.548, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली.

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड